(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Uttarkashi

No 903/2020 Dated. 15/07/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **11.115 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **P.M.G.S.Y. P.I.U.- Mori, Uttarkashi (Uttarakhand)** for Road Construction **Kotgaon(Naitwar) to Kalap Motor Road.** in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **kalap** village (s) in **Mori** tehsils.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 11.115 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure to annexure .**

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi

प्रपत्र 30.1

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Uttarkashi** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Dr. Ashish Chauhan I.A.S. District Magistrate Uttarkashi** on dated 15/07/2020 at time 11:00 AM at Uttarkashi in which application claiming rights in Forest Land area measuring **11.115** hect for the construction of **kotgaon (Netwar) to Kalap Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Mori** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated. 15/07/2020

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi

It is certified that-Minutes of meeting of Construction of kotgaon(Naitwar) to Kalap Motor Road Km. 15.00 Motor Road regarding FRA is as following.

Sr.no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 11.115 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid motor road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग के (लम्बाई 15 कि0मी0) निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण 11.115 है0 वन भूमि हस्तान्तरण किया जाना है। जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 15/07/2020 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी है। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुये है।

क्र0 स0	अधिकारी/सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	डॉ आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी।	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री बलवन्त सिंह शाही	उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0, पुरोला।	उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला उत्तरकाशी
3	श्री विक्रम सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी।	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्रीमती जयमाला	जिला पंचायत सदस्य।	वार्ड नं0 [1]
5	श्री मनोज मिनान	जिला पंचायत सदस्य।	M.S. Minan जि0 पंचायत वार्ड-2
6	श्री मनीष राणा	जिला पंचायत सदस्य।	मनीष राणा सदस्य जिला पंचायत वार्ड - बरसाली वि.ख.-डुण्डा, उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :— **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग** (लम्बाई–15.00 कि0मी0) **के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अर्न्तगत **कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप** मोटर मार्ग (लम्बाई–**15.00** कि0मी0) निर्माण हेतु (2.565 है0 आरक्षित वन भूमि, **8.550** है0 सिविल एवं सोयम भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल. **11.115** है0 वन भूमि) का **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0-मोरी** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **मोरी**) की दिनांक 27.01.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सोहन सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री सोहन सिंह —उपजिलाधिकारी — उपजिलाधिकारी, पुरोला —अध्यक्ष

2— श्री एस एल सेमवाल **वन क्षेत्राधिकारी** सुपिन रेंज नैटवाड —सदस्य

3— श्री गोनू कुमार गौतम सहायक समाज कल्याण अधिकारी— मोरी —सदस्य/सचिव

4— श्रीमती [illegible] देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र — नैटवाड —सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप** मोटर मार्ग परियोजना हेतु **11.115 है0** वन भूमि प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0.मोरी** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, भू संरक्षण **गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला उत्तरकाशी।** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अर्न्तगत **कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु **11.115 है0** वन भूमि प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0-मोरी** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **मोरी**
जनपद– **उत्तरकाशी**

प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी, **उत्तरकाशी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **मोरी**
जनपद– **उत्तरकाशी**

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई 15.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **कलाप**

तहसील **मोरी**, जिला **उत्तरकाशी**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत **विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु (2.565 है0 आरक्षित वन भूमि, 8.550 है0 सिविल एवं सोयम भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 11.115 है0 वन भूमि का **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0. मोरी** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **कलाप** द्वारा दिनांक 27.01.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0.मोरी** प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम कलाप** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 11.115 है0 **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0.मोरी** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत कलाप
ह० Radhika
वि० ख० - मोरी (उत्तरकाशी)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कलाप
विकास खण्ड मोरी
जिला–उत्तरकाशी

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 27/01/20.. को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत **कलाप**

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पदम सिंह	पदमसिंह
2	दर्शन सिंह	
3	लछमन लाल	लछमनलाल
4	मोहन ~~लाल~~ सिंह	मोहनसिंह
5	दुधीलाल	दुधीलाल
6	विनोद	विनोद
7	अनिल राणा	[illegible]
8	राजमोहन सिंह	[illegible]
9	वरदान सिंह	[illegible]
10	मूर्ति सिंह	मूर्ति सिंह
11	देवीराम	देवीराम
12	केशर सिंह	केशर सिंह
13	ठाकुर सिंह	ठाकुर
14	नत्थी सिंह	नत्थी सिंह
15	सुरेश	suresh
16	मदन राणा	[illegible]
17	किताब सिंह	किताब सिंह
18	दलेब सिंह	दलेब सिंह

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत कलाप
ह० [illegible]
वि० ख० - मोरी (उत्तरकाशी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
20	किताब सिंह	किताबसिंह
21	अर्जुन लाल	अर्जुनलाल
22	रोशन लाल	रोशनलाल
23	रज्जु लाल	रज्जु लाल
24	हरदयाल सिंह	हरदयाल सिंह
25	शाहब सिंह	
26	जबर सिंह	
27	जोत सिंह	
28	गोपाल सिंह	
29	भीम सिंह	भीमर सिंह
30	सैन सिंह	सैन सिंह
31	जीतपाल	जीतपाल
32	प्रहलाद	प्रहलाद
33	दुहल सिंह	
34	जमादार सिंह	जमादार
35	बालकिशन	बालकिसन
36	किसन सिंह	किसन

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत कलाप
ह० Radhika
वि० ख० - मोरी (उत्तरकाशी)

प्रपत्र 30.6

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई 15.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **कुमाला**

तहसील **मोरी**, जिला **उत्तरकाशी**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अर्न्तगत **विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड़) सें कलाप मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु (2.565 है0 आरक्षित वन भूमि, 8.550 **है0** सिविल एवं सोयम भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 11.115 है0 वन भूमि का **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0. मोरी** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **कुमाला** द्वारा दिनांक 27/01/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0.मोरी** प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम कुमाला** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 11.115 **है0 पी0एम0जी0एस0वाई0 पी0आई0यू0.मोरी** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम....कुमाला....
विकास खण्ड....मोरी

ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत
वि०ख० मोरी
जनपद उत्तरकाशी

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.7

दिनांक 27/01/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-(कुमाला) मैरवाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राकेश रावत	[illegible]
2	मूर्ति सिंह	मूर्ति सिंह
3	जयवीर सिंह	जयवीर सिंह
4	अन्तर सिंह	अन्तर सिंह
5	जगत	Jagat
6	मुकेश	[illegible]
7	राकेश	मनवीर
8	अजयपाल	Rakesh
9	मनवीर सिंह	[illegible]
10	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
11	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
12	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
13	हाकम सिंह	हाकम सिंह
14	सोबेन्द्र सिंह	सोबेन्द्र सिंह
15	खजान	खजान सिंह
16	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
17	किताब सिंह	किताब सिंह
18	बर दास	बरदास

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचा...
वि०ख...
जनपद उत्तरकाशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	हिलम दास	हिलमदास
20	नत्थीदास	नत्थी दास
21	करम दास	करम दास
22	नीलदास	नीलदास
23	कमलदास	Kamaldas
24	ज्ञानदास	ज्ञानदास
25	नत्थी सिंह	नत्थी सिंह
26	गजेन्द्र	गजेन्द्र सिंह
27	राजकुमार	राजेन्द्र सिंह
28	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
29	कुन्दन सिंह	कृपाल सिंह
30	सूरत सिंह	सूरत सिंह
31	रामचन्द्र रावत	रामचन्द्र रावत
32	रमेश	राम सुन्दर रावत
33	देशराज	रमेश रावत
34	केशर	देशराज रावत
35	विनोद	KSRawat
36	विजयपाल	विजयपाल

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत नैटवाड़
वि०ख० मोरी
जनपद उत्तरकाशी